210

Central Pulp & Paper Research Institute
DIRECTOR'S SECRETARIAT
Received on
07 OCT 2015
Saharanpur
(U.P.)

सेवा में,

श्रीमान प्रथम अपीलीय जनसूचना अधिकारी महोदय,
केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान,
सहारनपुर।

विषय:- प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारासूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत जनसूचनाएं प्राप्त करने के लिये भेजे गये प्रार्थनापत्र पर जनसूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर प्रथम अपील ।

श्रीमानजी,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने श्री बी0के0 नेगी द्वारा पब्लिक-मनी के दुरूपयोग के सम्बन्ध में जनसूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कियाथा। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र में माँगी गयी जनसूचनाओं के सम्बन्ध में जनसूचना अधिकारी ने जो जवाब भेजा है उसमें " सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के नियम- 8§1§ §1§ के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती " लिखा है। जबकि प्रार्थी/अपीलार्थी ने जो सूचनाएं -जनसूचना अधिकारी महोदय केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर से चाही थी वह विभाग से सम्बन्धित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा गैर- कानूनी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और श्री बी0के0 नेगी द्वारा किये गये विधि- विरूद्ध कृत्यों को छिपाने के लिए श्री बी0के0 नेगी के अवैधानिक कृत्यों के सम्बन्ध में चाही गयी जनसूचनाएं जानबूझकर- जनसूचना अधिकारी महोदय ने उपलब्ध नहीं करायी गयी है प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा 04.08.2015 को प्रेषित डाक 12.08.2015 को प्राप्त होना दर्शाया जा रहा है ताकि जनसूचनाएं जो 30 दिन के अन्दर अर्थात् 04.09.2015 तक प्रेषित करनी थी और जो कि 11.09.2015 में प्रदान की गयी हैं ताकि वह समयावधि के अन्दर दर्शायी जा सके।जबकि जनसूचना अधिकारी महोदय द्वारा 30 दिन की अवधि बीतने के उपरान्त गैर- कानूनी रूप से श्री बी0के0 नेगी के साथ मिलकर सही जनसूचनाएं उपलब्धा नहीं करायी गयी हैं। इसलिये प्रार्थी/अपीलार्थी की प्रथम अपील पर कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/अपीलार्थी को आवश्यक जन-सूचनाएं उपलब्ध करायी जाएं।

श्री राम प्रीशर्मा APIO विमर्श हेतु 07/10/2015

शेष पृष्ठ-2पर..

28/9/15

अत: श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को चाही गयी जनसूचनाएं उपलब्ध करायी जायं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें ।

-: वांछित जन-सूचनाएं निम्न प्रकार हैं :----

1- यह कि मुझ प्रार्थी द्वारा संस्थान के गेस्ट हाउस से प्राप्त सरकारी धन के गबन के सम्बन्ध में दिनांक- 01•05•2015 को शिकायती प्रार्थनापत्र निदेशक महोदय एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी सी0 पी0 पी0 आर0आई0 सहारनपुर को दिया गया उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र पर आपके विभाग द्वारा क्याकार्यवाही की गई उक्त कार्यवाही की समस्त आख्यामय समस्त कागजात उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नक:-

1- प्रार्थनापत्र दिनांक- 04•08•2015 की फोटो कॉपी।
2- प्रार्थनापत्र दिनांक- 01•05•2015 की प्रति ।
3- पोस्टल आर्डर संख्या- 34 एफ0- 323665 की फोटो कॉपी।
4- डाक रसीद दि0- 04•08•15 की फोटो कॉपी।
5- जन सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये जवाब की फोटो कॉपी।
6. लिफाफा जिसमे जवाब प्राप्त हुआ की फोटोकापी

प्रार्थी,

[signature] 28/9/15

ऽ निशान्त त्यागी ऽ
एडवोकेट,
चै0नं0- 23, सिविल कोर्ट,
सहारनपुर।

SP To: ICH SAHARANPUR Hub
EU117034712IN
Counter No:1,OP-Code:NNN
###########################
Amount:Rs17.00
###########################
Wt:26grams,11/09/2015 14:58
From:SAHARANPUR H.O. (247001)
DelvryPo:SAHARANPUR(247001)

D2/M/1219

Speed/Regd./Courier

EMS SPEED POST

EU117034712IN

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान
Central Pulp & Paper Research Institute
Post Box No. 174, Paper Mill Road,
Himmat Nagar, Saharanpur 247 001

23

(3)

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान
Central Pulp & Paper Research Institute
An autonomous organisation under the administrative control of
Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India
(Registered under Societies Act)

स्पीड पोस्ट

पत्रांक: सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./209-2011/2015/13(i)/ 1262 दिनांक: सितम्बर 4, 2015

श्री निशांत त्यागी,
एडवोकेट,
चैंबर न.23,
सिविल कोर्ट,
सहारनपुर-247 001

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अंतर्गत प्राप्त आवेदन दिनांकित 4.8.15 (संस्थान में प्राप्ति 12.8.15) के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने तीन आवेदन पत्र दिनांकित 4.8.15 (संस्थान में प्राप्ति 12.8.15) का संदर्भ लें।

इस संबंध में संस्थान के संबन्धित विभाग से प्राप्त सूचना संलग्न की जाती है साथ ही आर. टी. आई. फीस की रसीद स.सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./209, स.सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./210, स.सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./211 दी. 12.8.15 भी संलग्न है।

भवदीय,

बिष्णु प्रकाश अपलियाल 4/9/15
(बी.पी.अपलियाल)
जन सूचना अधिकारी

संलग्न : यथोक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. प्रभारी निदेशक, केन्द्रीय पल्प एवं पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर

D:\New Data 08.05.2014\RTI\copy Reply 10.doc

Post Box No. 174,PAPER MILL ROAD, HIMMAT NAGAR, SAHARANPUR 247001 (U.P.) INDIA
Tel. Direct (0132) 2714050, Tel. EPABX (0132) 2714059, 2714061, 2714062
Cable : CEPPRI, Saharanpur, Fax (0132) 2714052, 2714054, website : www.cppri.org.in
Email : director@cppri.org.in, info@cppri.org.in

BASE OFFICE
10-Birbal Road, Jangpura Extension, New Delhi - 110014
Phone-(011) 24315400, Fax.:(011) 24315401

CENTRAL PULP & PAPER RESEARCH INSTITUTE
SAHARANPUR

Ref.No. CPPRI/P/M/3/9/VI

Dated 4 .9.2015

ION

कृपया अपने पत्र संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/209–211/2015/13(आई) दिनांक अगस्त 12, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा श्री निशान्त त्यागी के सूचना के अधिकार के आवेदन इस विभाग को अग्रसारित किए गए थे। इस संबध में आपके पत्र के क्रम के अनुसार निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई जा रही है।

1. आवेदन संख्याः 1.आ.टी.आई आवेदन पावती संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/209 (2 पेज):– आवेदन में मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8(1)(j) के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
2. आवेदन संख्याः 1.आ.टी.आई आवेदन पावती संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/210 (4 पेज):– आवेदन में मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8(1)(j) के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
3. आवेदन संख्याः 1.आ.टी.आई आवेदन पावती संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/211 (2 पेज):– आवेदन में मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8(1)(j) के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

(अनिल कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी

डा. बी.पी.थपलियाल
वैज्ञानिक ई–2, जन सूचना अधिकारी
सीपीपीआरआई, सहारनपुर

दह टका मश टाका दश रुपये दश रुपयकाणि

अधपन्ना COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले। To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर

₹ 10

POSTAL ORDER

किसे अदा करना To whom payable ______

किस डाकघर में At what Office ______

क्या इसे क्रास किया है Whether crossed ______

भेजने की तारीख Date sent ______

34F 323665

अपराक्राम्य NOT NEGOTIABLE

डाक टिकट POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

भारतीय पोस्टल आर्डर INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO [illegible handwriting] को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT G.P.O. [illegible]

के डाकघर में अदा करें।

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

34F 323665

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे। SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

[illegible handwriting]

सत्यमेव जयते

True Copy

NISHANT TYAGI
Advocate
Ch. No.-20, Civil Court
Saharanpur

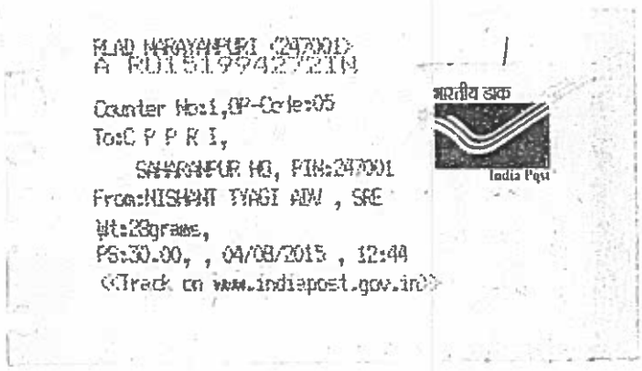

RLAD NARAYANPURI (247001)
A RD151994272IN

Counter No:1,OP-Code:05
To:C P P R I,
SAHARANPUR HO, PIN:247001
From:NISHANT TYAGI ADV , SRE
Wt:28grams,
PS:30.00, , 04/08/2015 , 12:44
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय,
केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान,
सहारनपुर।

विषय– जन सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा6 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

श्रीमानजी,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी को अपने व्यक्तिगत जानकारी हेतु निम्न लिखित जन सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता है इसलिए प्रार्थी को निम्न लिखित जन सूचनाऐं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत उपलब्ध करायी जावे प्रार्थी द्वारा आवश्यक शुल्क पोस्टल आर्डर संख्या 34 एफ 323665 से जमा कराया जा रहा है यदि शुल्क किसी कारण से अपर्याप्त हो तो सूचना पर तुरन्त अदा कर दिया जावेगा।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को निम्न लिखित जन सूचनाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें। वांछित सूचनाऐं निम्न प्रकार हैं:–

1– यह कि मुझ प्रार्थी द्वारा संस्थान के गैस्ट हाऊस से प्राप्त सरकारी धन के गबन के सम्बन्ध में दिनांक 01–05–2015 को शिकायती प्रार्थना पत्र निदेशक महोदय एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी सी पी पी आर आई सहारनपुर को दिया गया उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर आपके विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई उक्त कार्यवाही की समस्त आख्या मय समस्त कागजात उपलब्ध कराने की कृपा करें?

संलग्न–

1– प्रार्थना पत्र दिनांक 1–5–2015
की प्रति।

2– पोस्टल आर्डर संख्या 34 एफ– 323665

प्रार्थी

4/8/15

(निशान्त त्यागी),
एडवोकेट
चेम्बर नम्बर 23, सिविल कोर्ट
सहारनपुर।

NISHANT TYAGI
Advocate
Ch. No.-23, Civil Court
Saharanpur

दिनांक: 01/05/2015

सेवा में
निदेशक महोदय
सी.पी.पी.आर.आई.
सहारनपुर

द्वारा: सी. ओ. सी. आर. एवं बायोटेक्नोलोजी बिभाग़

बिषय: संस्थान के गैस्ट हाउस से प्राप्त सरकारी धन के गबन के संदर्भ में।

महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मैंने जनसूचना अधिकार के अंतर्गत सी.पी.पी.आर.आई..के गेस्ट हाउस/हॉस्टल के प्रभारी अधिकारी से गत कुछ बर्षों में गेस्ट हाउस में निवास कर चुके आगंतुकों एवं छात्रों से किराए के रूप में प्राप्त की गयी धनराशि का ब्योरा उपलब्ध कराये जाने को लिखा था। तथा इसी धनराशि का वित्त एवं लेखा विभाग से भी जमा करायी गयी धनराशि का ब्योरा उपलब्ध कराये जाने को लिखा था। इस विषय पर मुझे दोनों जगह से ब्योरा उपलब्ध कराया गया है।

महोदय इस विषय पर दोनों बिभागों से प्राप्त विबरण को जब मैंने आपस में मिलाया तो इसमें पाया गया है कि गैस्ट हाउस के बिल बुक से काटे गए बिल जो कि श्री बृजेन्द्र कुमार नेगी, सहायक द्वारा हस्ताक्षरित हैं, उनकी पूरी धनराशि उनके द्वारा वित्त एवं लेखा विभाग में जमा ही नहीं करायी गयी है। गैस्ट हाउस से प्राप्त विबरण के अनुसार बिल संख्या 63 से लेकर बिल संख्या 177 तक दिनांक 19/12/2012 से 04/03/2015 तक श्री बृजेन्द्र कुमार नेगी सहायक, ने जो धनराशि प्राप्त की है वह कुल मिलाकर रु.169925=00 (एक लाख उनहत्तर हजार नौ सौ पचीस रुपये) है। लेकिन श्री नेगी द्वारा वित्त एवं लेखा विभाग में 31/03/2015 तक सिर्फ रु.122250/-(एक लाख बाईस हज़ार दो सौ पचास) ही जमा कराया है। इस तरह उन्होने इसमें से रु.47675=00 (सैंतालीस हज़ार छह सौ पिचहत्तर रुपए) जमा ही नहीं किए हैं। इस प्रकार उपलब्ध कराये गए रिकार्ड के अनुसार श्री नेगी ने इन रुपयों का सीधे सीधे गबन किया है। महोदय सरकारी पैसे का गबन एक गंभीर अपराध है। इस विषय पर प्राप्त विबरण के अनुसार गबन की गयी धनराशि के अलावा भी मैं आपका ध्यान निम्न लिखित बिन्दुओं पर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि :-

1. श्री नेगी द्वारा बिल संख्या 101 से बिल संख्या 114 (दिनांक 05/08/2013 से लेकर दिनांक 07/11/2013) तक उनके द्वारा प्राप्त की गयी कुल धनराशि जो कि रु.34850=00 (चौतीस हज़ार आठ सौ पचास रुपये) है को उन्होने एक साल पश्चात 18/07/2014 को वित्त एवं लेखा विभाग में जमा किया है। इससे स्पष्ट है कि इस दौरान उन्होने इस धनराशि का उपयोग अपने निजी कार्यों के लिए किया है।
2. इसके बाद बिल संख्या 137 से लेकर 143 तक की कुल धनराशि रु.20550=00(बीस हज़ार पाँच सौ पचास) जो कि दिनांक 10/05/2014 से लेकर 18/06/2014 तक प्राप्त की गयी है यह धनराशि उन्होने फिर से नौ माह बाद अपने निजी कार्यों के लिए

Free copy

प्रयोग करने के वाद 17/03/2015 को वित्त एवं लेखा विभाग में जमा की है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि श्री नेगी ने यह राशि निजी चैक संख्या 007873 दिनांक 16/03/2015 के द्वारा जमा की है। जबकि उनके द्वारा यह राशि अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर नकद प्राप्त की गयी है।

3. इसके बाद पुनः बिल संख्या 144 से लेकर 166 तक, दिनांक 04/07/2014 से लेकर 31/12/2014 तक प्राप्त की गयी कुल धनराशि जो कि रु.14050=00(चौदह हज़ार पचास) है, उसे उन्होने फिर से तीन माह पश्चात 17/03/2015 को चैक द्वारा ही जमा किया है।
4. इसके बाद पुनः बिल संख्या 167 से लेकर 177 तक (दिनांक 26/01/2015 से 04/03/2015) तक प्राप्त की गयी कुल धनराशि रु.8800=00(आठ हज़ार आठ सौ) दिनांक 31/03/2015 को चैक संख्या 007874 दिनांक 30/03/2015 के अनुसार लेखा विभाग में जमा की है।

मेरे द्वारा जन सूचना कानून द्वारा सूचना उपलब्ध किए जाने के आवेदन की तिथि के बाद श्री नेगी द्वारा गैस्ट हाउस के रजिस्टर मैं भी काफी काट छॉट की गयी है। तथा बिल बुक की कार्बन कापी पर पैन द्वारा एक साथ हस्ताक्षर किए हैं। गैस्ट हाउस का रजिस्टर में दर्ज़ विबरण भी सुचारु रूप मैं नहीं है।

महोदय उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर गौर करने के बाद यह साबित होता है कि श्री बृजेन्द्र कुमार नेगी ने गेस्ट हाउस से प्राप्त सरकारी धनराशि का गबन करने के अलावा जमा की गयी धनराशि का भी समय समय पर अपने निजी कार्यों के लिए प्रयोग किया है। और प्राप्त की गयी धनराशि में से रु.47675=00(सैंतालीस हज़ार छह सौ पिचहत्तर) रुपये जमा नहीं करके सीधे सरकारी धन का गबन किया है। चैक द्वारा रुपये जमा करने से भी यह सिद्ध होता है की वह गेस्ट हाउस से प्राप्त होने वाले सरकारी धन को अपने निजी खाते में जमा करके उसका उपयोग अपने निजी कार्यों के लिए करते रहे हैं। इस दौरान श्री नेगी द्वारा देहरादून में अपने निजी मकान का निर्माण किया गया है।

महोदय श्री नेगी द्वारा इससे पूर्व में भी कई बार इस तरह के भ्रष्टाचार किए हैं। जो कि निम्न प्रकार से हैं।

1. पूर्व में संस्थान मे कोषाध्यक्ष के पद पर रहते हुए इनके द्वारा लाखों रुपये की हेरा फेरी की गयी लेकिन कोई कार्यवाही इनके विरुद्ध नहीं की गयी।
2. डिस्पेच विभाग में भी डाक व्यय में इनके द्वारा हेरा फेरी का मामला तत्कालीन C.V.O. डॉ.ए.जी. कुलकर्णी द्वारा उजागर किया गया। फिर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
3. छठा वेतनमान लागू होने की तिथि 01/01/2006 से, इन्होने अपनी मर्जी से बिना किसी नियम के 7450-11500 के पूर्व वेतनमान की फिटमेंट टेबिल का लाभ लेकर अपना एवं अपने साथी कनिष्ठ सहायकों को 4600/- ग्रेड पे में वेतन निर्धारण किया

True Copy

है। जबकि यह सभी 01/01/2006 को 4000-6000 के पूर्व वेतनमान में थे। इस वेतन वृद्धि से इनके वेतन में प्रतिमाह 10000/- रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हो रही है। और अब तक संस्थान को लगभग एक करोड़ रुपये का चूना लग चुका है।

4. इनके द्वारा प्रशासनिक विभाग में रहकर बिना अपनी संपत्ति का मोड्गेज किए नियम विरुद्ध संस्थान से भवन निर्माण के लिए लाखों रुपये का ऋण भी लिया गया है। यह कार्य इन्होने अपने कुछ अन्य साथियों के लिए भी किया है। कुछ ऋण के मामले ऐसे भी हैं जिन पर अभी तक ऋण लेने के बावजूद निर्माण कार्य भी शुरू नहीं किया गया है। हो सकता है उस जमीन को संबन्धित कर्मचारी बेच भी दे।

5. श्री नेगी के नेतृत्व में आठ अन्य सहायकों द्वारा मिलकर पूर्व में तत्कालीन कार्यकारी निदेशक डा.टी.के. राय एवं संस्थान के वरिष्ठ बैज्ञानिकों की उपस्थिति में संस्थान के अनुभाग अधिकारी श्री ए.के. सक्सेना को जूते चपलों से मारा पीटा गया लेकिन इसके बावजूद कोई कार्यवाही इनके विरुद्ध नहीं की गयी।

संस्थान के उच्च प्रबंधन द्वारा इनको अपने निजी स्वार्थ के लिए समय समय पर बचाया जाता रहा है।

महोदय अंत में आपसे निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर श्री बृजेन्द्र कुमार नेगी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय। तथा उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाय।उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों से स्पष्ट है कि श्री नेगी ने सरकारी धन का गबन किया है। सरकारी धन का गबन एक गंभीर अपराध है। वह लगातार यह कार्य करते रहे हैं। सरकारी धन के गबन के संदर्भ में मैं इस पत्र के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए एक निर्णय के संबंध में प्रकाशित दैनिक जागरण के दिनांक 22 मार्च. 2014 के लेख पर भी आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है। जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकारी धन के गबन पर एकमात्र सजा नौकरी से बर्खास्तगी ही है। महोदय यदि अब भी समय रहते उपरोक्त विषय पर ठोस कार्यवाही नहीं की गयी तो प्रार्थी अपनी शिकायत उच्च स्तर पर करने के लिए बाध्य हो जाएगा।

धन्यबाद

प्रार्थी

बिशम्बर पाण्डेय

तक. अधि. ए

सी.पी.पी.आर.आई.

Advocate

Civil Court

Saharanpur